संख्या-1/1931/38-4-13-46(जॉच)/2011

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सुश्री एलिस टेटे,
अवर सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण आवास प्रभाग)
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2013**

विषयः-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की ग्रामसभा जैतीखेड़ा के निवासी श्री अमरनाथ द्वारा इन्दिरा आवास योजना में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में भारत सरकार में की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही की आख्या (ए0 टी0 आर0) प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जे0-11060/02/2011-आर0एच0 दिनांक-02-02-2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की ग्रामसभा जैतीखेड़ा के निवासी श्री अमरनाथ द्वारा इन्दिरा आवास योजना में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम सभा जैतीखेड़ा के निवासी श्री अमरनाथ द्वारा इन्दिरा आवास योजना में की गयी अनियमितता की शिकायत की जॉच मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर द्वारा जिला विकास अधिकारी, सीतापुर/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर की संयुक्त समिति से करायी गयी। संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जॉच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर के पत्र दिनांक 08-03-2013 द्वारा प्रेषित की गयी जॉच आख्या में अवगत कराया गया है कि शिकायती पत्र में मुख्य रूप से इन्दिरा आवास/महामाया आवास के आवंटन में अवैध तरीके से वसूली का आरोप लगाया गया था। जांच समिति द्वारा जांच आख्या में अवगत कराया गया कि जांच के समय मौके पर उपलब्ध लाभार्थियों द्वारा आवास हेतु किसी प्रकार की धनराशि न देने विषयक बयान दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा गलत फैमिली आय के आधार पर आवास दिये जाने की शिकायत की गयी, जो जांच में सही नहीं पायी गयी। शौचालयों के निर्माण एवं खड़जा निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी जो शिकायत की गयी है, वह भी जांच में सही नहीं पायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रेषित जॉच आख्या के दृष्टिगत प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गई।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in